

न्यायालय: जिला जज, महोबा
उपस्थित:- राम नगीना यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP5737



UPMB010009672025
सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-24/2025
सिविल निगरानी संख्या- /2026
दृगपाल आदि बनाम मदनपाल आदि

प्रार्थनापत्र 5ग2 अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण

1. पत्रावली प्रस्तुत होकर पुकार करायी गयी। प्रार्थनापत्र 5ग² अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम पर निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. निगरानीकर्तागण की ओर से प्रार्थनापत्र 5ग² अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र कागज संख्या-6ग² इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सिविल निगरानी न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कुलपहाड़ महोबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। दृगपाल मुकदमे की पैरवी करता था लेकिन बुखार से पीड़ित होने के कारण अपने अधिवक्ता से मुकदमे की जानकारी नहीं कर सका। जानकारी होने पर दिनांक 08.05.2025 को नकल सवाल प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर निगरानी दाखिल कर रहा है। निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।
3. विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही आपत्ति की गयी।
4. मुंसरिम आख्या के अनुसार प्रस्तुत अपील 35 दिवस काल बाधित है जिसका कारण बीमारी व अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी समय से न हो पाना कथित किया गया है। प्रार्थनापत्र के कथन शपथपत्र से समर्थित हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निगरानीकर्तागण का प्रार्थनापत्र 5ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. **आदेश:** निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5ग² अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है। निगरानी दाखिल करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2026 को प्रस्तुत हो।

जिला जज
महोबा।